

75
आजादी का
अमृत महोत्सव

15
YEARS OF
CELEBRATING
THE MAHATMA

भूमि
BhIM
भारत इंटीग्रेशन मिशन

RAJASTHAN
FINANCIAL
CORPORATION
Entrepreneur First

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION
राजस्थान वित्त निगम
Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur 302005
Tel: 2385522 Fax: 2385503
e-mail ID: info@rfc.rajasthan.gov.in

क्रमांक आरएफसी/पीए-30 (266)/62


दिनांक 11.04.2022

परिपत्र

विषय: राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) के संबंध में

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) की अनुपालना में राजस्थान वित्त निगम प्रबन्ध द्वारा वर्तमान में सेवारत कार्मिकों (प्रतिनियुक्ति/विपरीत प्रतिनियुक्ति सहित) के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अंशदान रू0 10500/- प्रति कार्मिक प्रति वर्ष देने का निर्णय लिया है। निगम द्वारा कार्मिकों की RAJERP ID जारी कर दी गई है इस सदर्भ में निगम द्वारा पूर्व में परिपत्र दिनांक 11.01.2022 एवं 19.01.2022 के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिये जा चुके हैं निगम में सेवारत जिन कार्मिकों द्वारा आज दिनांक तक आरजीएचएस में पंजीकरण करवाया है निगम द्वारा केवल उन्हीं कार्मिकों की राशि राज्य सरकार में जमा करवाई जायेगी तथा ऐसे कर्मचारी ही आरजीएचएस सुविधा का लाभ ले सकेंगे जिन सेवारत कर्मचारियों द्वारा आज दिनांक तक आरजीएचएस में पंजीकरण नहीं करवाया है उन कार्मिकों की अंशदान राशि रू0 10500/- निगम द्वारा वर्तमान में जमा नहीं करवाई जावेगी जिसकी जिम्मेदारी स्वयं कार्मिक की होगी। आरजीएचएस में पंजीकरण करवाने के पश्चात ही अंशदान राशि रू0 10500/- निगम द्वारा जमा करवाया जाना संभव होगा।

वर्तमान में प्रचलित निगम की चिकित्सा पुर्नभरण सुविधा का लाभ दिनांक 15.04.2022 तक ही मान्य होगा इसके पश्चात यह सुविधा स्वतः ही समाप्त हो जायेगी तथा दिनांक 16.04.2022 से राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) लागू हो जायेगी।


(शक्ति सिंह राठौड़)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:

1. समस्त शाखा, राजस्थान वित्त निगम
2. मुख्यालय में मानक परिचालन